न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 22/2022

बउनवान

1. धूली बाई बेवा किशना उम्र 90 वर्ष जाति बलाई, निवासी कोटड़ी पाठेड़ा तहसील व जिला बारां (राज.)
2. रामचन्द उम्र 65 वर्ष पुत्र स्व. श्री किशना जाति बलाई निवासी खेड़लीटबरान, सुल्तानपुर, जिला कोटा (राज.)
3. सुमित्रा उम्र 62 वर्ष पुत्री स्व. श्री किशना पत्नी भैरूलाल जाति बलाई निवासी केशोरायपाटन, जिला कोटा (राज.)
4. छोटूलाल उम्र 59 वर्ष पुत्र स्व. श्री किशना जाति बलाई निवासी कोटड़ी पाठेड़ा, तहसील व जिला बारां (राज.)
5. मूलचन्द उम्र 57 वर्ष पुत्र स्व. श्री किशना जाति बलाई निवासी कोटड़ी पाठेड़ा, तहसील व जिला बारां (राज.)
6. रामजानकी उम्र 55 वर्ष पुत्री स्व. श्री किशना पत्नी भैरूलाल जाति बलाई निवासी मेलखेड़ी छापर तहसील व जिला बारां (राज.)
7. हरिशंकर उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व. श्री किशना जाति बलाई निवासी गोदियापुरा, तहसील व जिला बारां (राज.) (अपीलांटगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल नं0 95 दिनांक 18.06.1994 व इन्तकाल नं0 348 दिनांक 13.11.2010

तहसीलदार बारां जिला बारां (राज.)

उपस्थिति :— 1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एडवोकेट (अपीलांटगण)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 14.08.2024

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके माल बरानी तहसील बारां की खाता संख्या नया 139 पुराना 140 की आराजीयात कुल किता 4 रकबा 0.68 है. पूर्व में अपीलांट के पिता किशना वल्द पन्ना कोम बलाई सा. देह के नाम मुताबिक जमाबंदी संवत 2044—47 एवं 2048—51 दर्ज थी। किशना वल्द पन्ना के चार पुत्र रामचन्द, छोटूलाल, मूलचन्द, हरिशंकर व दो पुत्रियां सुमित्रा व रामजानकी थी। किशना वल्द पन्ना की मृत्यु दिनांक 10.02.1993 को होने के बाद रेस्पोडेन्ट द्वारा इंतकाल नंबर 95 दिनांक 18.06.1994 को खोला गया, जिसमें मृतक किशना के वैध वारिस एवं उत्तराधिकारियों अपीलांटगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही कर उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों चतरा, कैला, बिसनी के नाम इंतकाल खोल कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया, जबकि उक्त वारिसान दूसरे किशना के थे, जिसकी आराजी खसरा नंबर 560 रकबा 2... जिसमे से बिशनी व कैला द्वारा चतुर्भुज पुत्र किशना के नाम हकत्याग करने से उक्त ... 560 की सम्पूर्ण आराजी पर चतुर्भुज का नाम दर्ज हो गया। चतुर्भुज की मृत्यु होने पर इंतकाल नंबर 348 दिनांक 18.11.2010 उसके वारिसान रामसागर, गोपाल बा... व भूरी बाई..., संजू बाई, निर्मला, संतोष नाबालिग की ... राजस्व रिकार्ड में दर्ज ...। इसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.09.20 13:52:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपीलांटगण की आराजीयात पर भी चतुर्भुज के उक्त वारिसान का नाम दर्ज कर दिया। इस प्रकार राजस्व कार्मिकों ने बिना जांच किये ही मृतक किशना वल्द पन्ना की मृत्यु के बाद खोले गये इंतकाल नंबर 95 दिनांक 18.06.1994 व इंतकाल नंबर 348 दिनांक 13.11.2010 में गलत व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिये जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल नंबर 95 दिनांक 18.06.1994 व इंतकाल नंबर 348 दिनांक 13.11.2010 निरस्त किये जाकर माल बरानी की आराजी खाता संख्या नया 139 पुराना 140 की कुल किता 4 रकबा 0.68 है. पर बाद जांच मृतक किशना वल्द पन्ना कोम बलाई के वैध वारिस एवं उत्तराधिकारियों अपीलांटगण का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक पिता की आराजीयात उनके वैध वारिस एवं उत्तराधिकारी अपीलांटगण का नाम दर्ज नहीं कर अन्य खातेदार किशना के वारिसान का नाम दर्ज कर अपीलाधीन इंतकाल नंबर 95 दिनांक 18.06.1994 खोला जाकर तस्दीक कर दिया तथा इसी प्रकार अन्य खातेदार किशना के पुत्र चतरा उर्फ चतुर्भुज की मृत्यु होने पर अपीलाधीन इंतकाल नंबर 348 दिनांक 13.11.2010 खोला जाकर तस्दीक कर दिया। आराजीयात पर अपीलांटगण का नाम दर्ज नहीं होने के कारण वे मिलने वाले सरकारी योजनाओं के लाभ के.सी.सी. एवं फसल मुआवजा आदि से वंचित हो रहे हैं। अतः ग्राम बरानी के इंतकाल नं. 95 दिनांक 18.06.1994 एवं इंतकाल नंबर 348 दिनांक 13.11.2010 निरस्त किये जाकर मृतक किशना वल्द पन्ना कोम बलाई के वैध वारिस एवं उत्तराधिकारियों अपीलांटगण का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन नही कर कथन किया कि गांव में एक ही नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं हो सकता है कि दूसरे खातेदार किशना के वारिसान का नाम से अपीलांटगण के मृतक पिता का इंतकाल खोला जाकर तस्दीक किया गया हो।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि ग्राम बरानी की आराजीयात मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 17 संवत् 2044–47 तथा जमाबंदी खाता संख्या 18 संवत 2048–51 कुल किता 4 रकबा 0.68 है. अपीलांटगण के पिता किशना वल्द पन्ना कोम बलाई साकिन देह के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटगण स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर ग्राम बरानी के इंतकाल नं. 95 दिनांक 18.06.1994 एवं इंतकाल नंबर 348 दिनांक 13.11.2010 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक किशना वल्द पन्ना कोम बलाई निवासी बरानी के वैध वारिस एवं उत्तराधिकारियों के पक्ष में बाद जांच नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.09.20 13:52:52 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)